



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर (मध्य प्रदेश)

विजापन क्रमांक 01/स्थापना/2017, दिनांक 22.04.2017

अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित भूत्य के पद की वाक़-इन-इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति हेतु विजापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 23.05.2017 (सायं 5:30 तक)

- 01 आयोग द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय में रिक्त मध्य प्रदेश के मूल निवासी अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित भूत्य के एक पद की वाक़-इन-इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पद विवरण :-

पद का नाम	भूत्य
श्रेणी	अस्थिबाधित निःशक्तजन
वेतनमान	4440-7440+ 1300 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा देय भत्ते
आयु सीमा	आयु संगणना तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 45 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। टीप:- शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, निःशक्तजन को देय 10 वर्ष की छूट तथा छूट सहित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
आयु संगणना तिथि	01.01.2018
अनिवार्य अर्हता	
शैक्षणिक	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
अन्य अर्हता	1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र 2. मध्य प्रदेश के किसी जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी 40% या अधिक स्थायी अस्थिबाधित निःशक्तता का प्रमाण-पत्र
अनर्हता	(अ) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा। (ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

- 03 आवेदन विधि:- उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, एवं www.mppsc.com पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र-का प्रारूप डाउनलोड करके उसे भरकर आवेदन पत्र के साथ केवल निम्न अभिलेख संलग्न करें:-

- कक्षा-5 की अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति
- तथा कक्षा-8 की अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति
- मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र
- जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी 40% या अधिक स्थायी अस्थिबाधित निःशक्तता का प्रमाण-पत्र।

उक्त अनुलग्नकों सहित आवेदन पत्र एक लिफाफे में रखकर लिफाफे के शीर्ष पर "भूत्य के पद हेतु आवेदन पत्र" लिखे। लिफाफे पर प्राप्तकर्ता के स्थान पर "सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (म.प्र.)" तथा प्रेषक के स्थान पर अपना स्वयं का पता लिखें। लिफाफे पर यथोचित टिकट लगाकर आयोग को प्रेषित करें। अभ्यर्थी ध्यान रखें **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 23.05.2017 (सायं 5:30 बजे तक)** आपका आवेदन प्राप्त होने पर की मान्य किया जाएगा। आवेदन पत्र व्यक्तिशः भी आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर जमा किए जा सकेंगे। **बिलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे**

- 03 चयन प्रक्रिया:- कक्षा 8 में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर 10 अभ्यर्थियों तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। **चयन के संदर्भ में सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा।**

- 04 आवेदन शुल्क :- उक्त पद हेतु आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

- 05 यात्रा व्यय :- साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार उनके निवास के स्थान से इंदौर आने तथा वापसी का यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति तथा यात्रा टिकट प्रस्तुत करना होगा तथा इस हेतु विहित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

103

उप सचिव

